



दूरभाष-2286709

2286711

राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ०प्र० लखनऊ  
नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001

पत्रांक: 1538/241/NULM/तीन/2001(SUH) III

दिनांक-15/7/15

सेवा में,

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
रामपुर।
2. अधिशासी अधिकारी न०पा०प०, न०प०/सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, शहर मिशन प्रबंधन  
इकाई-रामपुर।

विषय:-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक "शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत"  
परियोजना की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक मिशन के अन्तर्गत नगरीय निकाय से शहरी बेघरों के आश्रय की  
प्राप्त परियोजनाओं की स्वीकृति शासनादेश संख्या 833/69-1-19(104)/2013 दिनांक-  
23 मई 2014 के द्वारा गठित "राज्य परियोजना स्वीकृति समिति" द्वारा निम्नानुसार  
परियोजना स्वीकृत की गयी है:-

रु० लाख में

क्र० सं०	राज्य परियोजना स्वीकृति समिति के बैठक कार्यवृत्त संख्या एवं दिनांक	शहर का नाम	शेल्टर होम का प्रकार	स्वीकृत परियोजनाओं में शहरी बेघरों की संख्या	स्वीकृत निर्माण लागत	पांच वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु स्वीकृत की धनराशि	निर्माण अवधि	निर्माण कार्य हेतु प्रथम किस्त की धनराशि (40%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1409/241/ NULM /तीन/2001 एस०यू०एच० दिनांक- 08.07.2015	रामपुर	नया निर्माण	100	255.11	60.00	09 माह	102.04

राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की उल्लिखित कार्यवृत्त के अनुक्रम में उल्लिखित  
परियोजनाओं की स्वीकृत निम्नांकित शर्तों के अधीन की जाती है:-

1. प्रकरण के मा० उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या 55/2003 एवं 572/2003 ई०आर० कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में की जा रही सघन रागीक्षा के दृष्टिगत त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए गुणवत्ता आधारित निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
2. कार्यदायी संस्था को निर्धारित समय सीमा में अनुपातिक आधार पर गुणवत्ता आधारित कार्य कराते हुए अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। शहर मिशन प्रबंधन इकाई/निकाय को कार्यदायी संस्था से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल नियमानुसार निर्धारित प्रारूपों में



सी०पी०ओ०/ई०ओ०/नगर आयुक्त/पीडी/डीएम के माध्यम से राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई- सूडा उ०प्र० को उपलब्ध कराना होगा।

3. शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्राप्त होने 15 दिवसों में आगामी किस्त के अवमुक्त की कार्यवाही करना आवश्यक होगा ताकि समय से धनराशि अवमुक्त करके निर्धारित रागय में कार्य पूर्ण कराया जा सके।
4. निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को उल्लिखित निर्देशों की अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में निर्धारित समय सीमा में राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई सूडा उ०प्र० को उपलब्ध कराना अपरिहार्य है।
5. आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि हडको द्वारा दिये गये सुझाव के क्रम में निर्देशित किया गया कि निर्माण कार्य की विस्तृत रागयसारणी एवं वार चार्ट कार्यदायी संस्था सी०एण्ड डी०एस० द्वारा तत्काल उपलब्ध कराया जाय।
6. निर्देश दिये गये कि निर्माण कार्य के साथ-साथ निर्मित किये जाने वाले आश्रय एवं प्रस्तावित भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने की कार्यवाही का विवरण तैयार कर तत्काल अनुपालन स्वरूप राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई सूडा, उ०प्र० को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. स्वीकृत परियोजना का संक्षिप्त चार्ट इस कार्यवृत्त के साथ रालग्न किया जा रहा है।
8. निर्देश दिये गये कि शहरी बेघरों हेतु स्वीकृत परियोजना का अनुमोदन शहर स्तर पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित कार्यकारी समिति से अवश्य करा लिया जाये।
9. प्रस्तावित शेल्टर होम के निर्माण के प्लान/नक्शों का नियमानुसार सम्बन्धित निकाय/प्राधिकरण आदि से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
10. निर्माण कार्य स्वीकृतानुसार पूर्ण कराये जाने हेतु निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई एवं कार्यदायी संस्था के मध्य नियमानुसार अनुबन्ध की कार्यवाही करते हुए तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
11. परियोजनान्तर्गत किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
12. निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम में सभी सुविधायें एवं सेवाएं गाइडलाइन के अनुसार सुनिश्चित किया जाना अपरिहार्य होगा साथ ही समय-समय पर मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अपरिहार्य होगा।
13. निर्देश दिये गये कि प्राप्त इस्टीमेट पी०डब्लू०डी० दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

भवेदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)  
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक- तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, नगर विकास, उ०प्र० शासन।



दूरभाष-2286709

2286711

राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ०प्र० लखनऊ  
नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001

2. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०।
4. निदेशक, सी०एण्ड डी०एस०, उ०प्र०, जल निगम, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, सूडा/राज्य शहरी आजीविका मिशन, लखनऊ को धनराशि अवमुक्त की कार्यवाही हेतु।
6. परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण रामपुर को अनुपालनार्थ।
7. सहायक वेबमास्टर सूडा को इमेल से प्रेषण एवं सूडा वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)  
मिशन निदेशक

७/८